लज़ा स्त्रीय महिला जागरूकता शिविर जयपुर
2008

पीड़ित, शोषित महिला नहीं हैं अब लाखों
उसे सम्भाल देने को महिला आयोग है तैयार

राजस्थान राज्य महिला आयोग
जयपुर
भारतीय समाज में नारी का स्थान

"यत्र नार्यस्तु पूजयते समन्ते तत्र देवता" इसी मूलभुत में निहित था नारी का सम्मान। प्राचीन सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवस्था में पुरुष का मुख्य दायित्व था अर्थातः पुरुष व पत्नी बच्चों का संरक्षण और स्त्री की भूमिका थी गृहस्वामिनी की।

किन्तु कालान्तर में इस पारिवारिक व्यवस्था ने पुरुष जाति के दंभ, वर्षस्व, उद्दंडता ने नारी जाति की पुरुष पर निर्भरता व भीरूता को जन्म दिया। परिवारस्वरूप विकास हुआ पुरुष प्रधान सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था का, जिसमें न केवल नारी का स्थान दोयम हुआ, अथवा पुरुष के अल्पक्षा व प्रताप नहीं सहा स्त्री समाज मदद की तलाश करने लगा।

महिला सशक्तीकरण में महिला आयोग की भूमिका

हर महिला को उसके अधिकारों के प्रति जागृत करने और अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राजस्वाय महिला आयोग को कटिबद्ध है। प्रताधिक हो जाने पर मदद और सहाय दूंढने के लिए मजबूर महिला को भंडरों न पड़े, ऐसे उपयोग तलाशना आयोग की महत्वाकांक्षा रही है। इसी उदेश्य से महिलाओं में कानूनी संरक्षण व अधिकारों के प्रति जागृतकाता पैदा करने के लिए आयोग द्वारा महिला जागृतकाता शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि महिला सशक्तीकरण की दिशा में प्रभावी पहल हो सके।

(1)
कानूनी संरक्षण

सरकार ने महिलाओं को पुरुष समाज के शोषण से बचाने, 
आत्मसम्मान जगाने, आत्मनिर्भर बनाने और समाज में 
सम्मानजनक स्थान दिलाने की दिशा में अनेक कानूनी उपाय 
किए हैं। आवश्यकता है कि महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों 
व संरक्षण के उपायों को जाने व समझें। प्रस्तुत सामग्री इसी 
दिशा में एक प्रयास है।

महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराध जो 
कानून में दंडनीय है

- बलात्कार, हत्या, गंभीर चोट एवं प्रहार।
- छूटछाड़, ऐसे शब्द बोलना अथवा ऐसे इशारे करना 
  जिससे महिला की शारीरिता का अपमान होता है।
- अपहरण, भगाना अथवा महिला को फुसला कर विवाह 
  के लिए मजबूर करना
- किसी नाबालिग लड़की को इस इरादे से फुसलाना कि 
  वह अन्य व्यक्ति के साथ मैर कानूनी संबंध बनाने पर 
  बाध्य हो, किसी नाबालिग को वेश्यावृत्ति के इरादे से 
  खरीदना या बेचना।
- दहेज मांगना, देना या लेना
- पति या उसके किसी अन्य रिश्तेदार द्वारा विवाहित 
  महिला पर अत्याचार, दहेज मृत्यु आदि।
- पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना, किसी 
  विवाहित महिला को आपराधिक इरादे से बहकाना, ले 
  जाना अथवा बन्धक बना लेना।
अपराध की सूचना देने का दायित्व

कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध की या पीड़िता की जानकारी है, वह निकटवर्ती पुलिस थाने जाकर अपराध कृत्य की सूचना दे सकता है। इस सूचना को प्राथमिकी या एफ.आई.आर.(प्रथम सूचना रिपोर्ट) कहते है। प्राथमिकी में आरोप व आरोपी से संबंधित सभी तथ्य दिये जाने चाहिए। प्राथमिकी यथासंभव शीघ्र दर्ज की जानी चाहिए। सभी सबूत जूटाने व अपराधी को पकड़ने के लिए यह आवश्यक है कि-

- यदि थाने का प्रभारी अधिकारी सूचना दर्ज करने से इकार करता है तो ऐसे इकार पर व्यक्ति लिखित रूप में या डाक द्वारा ऐसी सूचना का सारांश पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है।

- अपराध के बारे में सूचना लिखित रूप से सीधे मजिस्ट्रेट को भी दी जा सकती है।

- महिला अपराधों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा मजिस्ट्रेट से शिकायत की जा सकती है।

महिलाओं पर किये जाने वाले अत्याचारों से बचाव के लिए प्रमुख विधिक प्रावधान निम्नानुसार है:-

घरेलू हिंसा से संरक्षण के उपाय

घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005" प्रारंभित किया गया जो जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू है।
घरेलू हिंसा क्या है

एक ही छत के नीचे रहने वाले परिवार की किसी महिला पर उस परिवार के अन्य सदस्य द्वारा की जाने वाली मारपीट, प्रताड़ना, शोषण व अत्याचार घरेलू हिंसा है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन उत्पीड़न व मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग शामिल है।

स्पष्टीकरण

शारीरिक दुरुपयोग

किसी महिला के साथ की जाने वाली मारपीट जिससे उसके शरीर के किसी अंग व स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचता है या दर्द कारित होता है।

यौन दुरुपयोग

यौन प्रकृति का ऐसा कार्य जिससे महिला की गरिमा या मर्यादा का अपमान होता है।

मौखिक व भावनात्मक दुरुपयोग

अपमानित करना, हंसी उठाना, गाली देना, तानाकशी करना तथा संतान नहीं होने पर बाञ्छ कहकर बुलाना।

आर्थिक दुरुपयोग

विधि या प्रथा के अधीन हकदार वित्तीय स्रोत से वंचित करना, व्यक्तित्व व व्यक्ति या उसकी संतान को भरण-पौषण, स्त्रीधन, निवास-स्थान या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित करना।
शिकायत कहाँ करें

घरेलू हिंसा से व्यक्ति महिला या उसके रिश्तेदार या अन्य कोई व्यक्ति अपने नजदीकी पुलिस थाना, संरक्षण अधिकारी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के यहां शिकायत कर सकते हैं।

राहत

जब मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा से सम्बन्धित आवेदन प्राप्त होगा तो वह आवेदन प्राप्ति तिथि से तीन दिनों में प्रथम सुनवाई तिथि तय करेगा और यथासम्भव प्रथम सुनवाई तिथि से 60 दिनों की अवधि में आवेदन पत्र का निपटान करेगा।

• प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्ति महिला को सुरक्षा उपलब्ध करवाई जायेगी, उसे रहने के लिए प्रत्येक से निवास स्थान दिलाया जायेगा तथा उसका भरण-पोषण व धिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जायेगी।

दण्ड

यदि प्रत्येक द्वारा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उसे इस अधिनियम के तहत एक वर्ष तक की अवधि का कारावास या रूपरेखा बीस हजार तक जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

पति या उसके नातेदार द्वारा की जाने वाली प्रताधना

भारतीय दण्ड संहिता अधिनियम 1860 की धारा 498(ए) के अनुसार जब किसी महिला का पति या पति का नातेदार उस महिला के साथ वृत्तांत व प्रताधना करता हैं तो वह तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
कृता/प्रताद्विना किस तरह की

- जानबुझकर किया गया ऐसा आंचलण जिससे वह महिला आत्महत्या करने को मजबूर हो या उसके जीवन या स्वास्थ्य को मानसिक व शारीरिक क्षति होने की संभावना हो।

- महिला को इस आशय से तंग करना कि वह अपने पीहर से मूल्यवान सम्पत्ति, प्रतिभूति या धन लेकर आवें।

शिकायत कहाँ करे व क्या सावधानियाँ बरती जाएं

पीड़ित महिला या उसका नातेदार व्यक्ति सम्बन्धित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करावे। प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल वास्तविक तथ्य और प्रतिक्रिया करने वाले दोषी व्यक्तियों को ही नामजद करावें। शिकायत अदालत में इस्तमाल सादर करके भी की जा सकती है।

दहेज प्रतिषेध

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत दहेज मांगना और दहेज देना दोनों कानून से अपराध हैं और दोष सिद्ध होने पर पाँच वर्ष का कारावास और पन्द्रह हज़ार रुपये तक का अर्थ दण्ड या दहेज मूल्य की राशि जो भी अधिक हो, से दण्डित किया जा सकेगा।

बलात्कार

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अनुसार जब कोई व्यक्ति निम्न परिस्थितियों में किसी महिला से लेगिक संबंध करता है तो उसे बलात्कार कहा जाता है यदि वह उस

- स्त्री की इच्छा के विरुद्ध
• स्त्री की सम्मति के बिना
• स्त्री को मृत्यु या चोट पहुंचाने की धमकी देकर
• स्त्री को यह विश्वास दिलाकर कि वह उसका पति है
• स्त्री के दिमागी तौर पर कमजोर होने या नशे की हालत में होने पर
• नाबालिग स्त्री जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम हो
• यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम हो

जो भी कोई व्यक्ति बलात्कार का आरोपी पाया जायेगा तो उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा-376 के अनुसार सात वर्ष से दस वर्ष या अजीवन कारावास तक की अवधि के कारावास और जुम्मा से दण्डित किया जायेगा।

पीड़ित महिला द्वारा निम्न सावधानियाँ बरतनी चाहिए

• बलात्कार से पीड़ित महिला तुरन्त स्वयं या अपने रिश्तेदार के माध्यम से पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायें।
• घटना के 48 घंटों के भीतर अपना मेडिकल परीक्षण करवायें।
• जब तक पुलिस मेडिकल परीक्षण न करवा देवें तब तक स्वयं न नहाये और न ही बलात्कार के समय पहनें हुए अथवा वस्त्र या अन्य वस्त्र धोयें।
पुलिस का कर्तव्य

पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी पीड़ित महिला की निम्नानुसार सहायता करेगा-

- बलात्कार पीड़ित महिला की शिकायत को प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में दर्ज करेगा।
- लिखी गई रिपोर्ट को पीड़ित महिला को पढ़कर सुनायेगा।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट पर पीड़ित महिला के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी करवायेगा।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति पीड़िता को निषुल्क दी जावेगी।
- पीड़ित महिला की डॉक्टरी जांच करवायेगा।
- घटना के समय पीड़ित महिला द्वारा पहने हुए कपड़ों को सील बन्द करेगा और उसकी रसीद उस महिला को देगा।

यौन उत्पीड़न

वर्तमान में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सामान्यतया कामकाजी महिलाओं के साथ ऐसा यौन उत्पीड़न साथी कर्मचारियों, अधिकारियों एवं नियोजक द्वारा स्वयं की स्थिति का लाभ उठाकर किया जाता है।

यौन उत्पीड़न क्या है

- किसी कामकाजी महिला से शारीरिक संबन्ध बनाने का प्रस्ताव।
- यौन संबन्ध की मांग करना।
यौन सम्बन्धी कार्य करना।
अश्लील टिप्पणियाँ करना, अश्लील चित्र या साहित्य दिखाना।
अवांछित शारीरिक इशारे करना, शाब्दिक या मौखिक अश्लील व्यवहार करना।
यौन उत्पीड़न को संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानने हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने ""विशाखा बनाम राजस्थान राज्य"" (ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3043) मामले में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में यौन उत्पीड़न पर रोक लगाने के लिए समुचित नियम बनाये जाये तथा यौन उत्पीड़न के दोषी व्यक्तियों के लिए दण्ड की व्यवस्था की जायें।
निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में लागू स्थायी आदेशों में भी इन दिशा-निर्देशों को लागू किया जावे।
कामकाजी महिलाओं की शिकायत पर नियोजक द्वारा उचित कार्यवाही की जावे।
यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को अपने स्थानान्तरण का विकल्प दिया जाये तथा आवश्यकता होने पर दोषी व्यक्ति को भी स्थानान्तरित कर दिया जावे।
माननीय उच्चतम न्यायालय ने यौन उत्पीड़न की जाँच हेतु समस्त विभागों, उपक्रमों व संस्थानों में एक जाँच समिति के गठन का निर्देश दिया है जिसमें 50 प्रतिशत महिला सदस्यों का होना आवश्यक है तथा समिति में
किसी स्वयं सेवी संस्था का प्रतिनिधि भी शामिल किया जाए।

- कामकाजी महिला को यौन उत्पीड़न की शिकायत अपने विभाग के प्रमुख को करनी चाहिए। यदि उसे विभाग से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं हो तो वह राजस्थान राज्य महिला आयोग में भी शिकायत कर सकती है।

महिलाओं का अशिष्ट रूपन

विज्ञापनों व प्रकाशनों में महिलाओं का अशिष्ट रूपन रोकने के लिए "महिलाओं का अशिष्ट रूपन प्रतिषेध अधिनियम, 1986" बनाया गया है। जब किसी महिला की आवक्ति, उसके रूप व शरीर या उसके किसी भाग को विज्ञापन में ऐसी सीति से चित्रित किया जाता है कि उसमें अश्लीलता दिखाई पड़ती है, तो उसे अशिष्ट रूपन माना जाता है। इस अपराध को रोकने के लिए इस अधिनियम में पाँच वर्ष तक का कारावास एवं दो हजार से दस हजार रुपये तक जुर्माना किये जाने का प्रावधान है।

बाल विवाह

कम उम्र में बालक व बालिका का शरीर व मस्तिष्क शादी जैसी जिम्मेदारी निभाने को परिपक्व नहीं होते। अतः सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए "बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929" पारित किया जो 1 अप्रैल 1930 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में लागू है। इस अधिनियम में बाल विवाह रोकने के लिए निम्नलिखित प्रावधान है:-

- ऐसा पूरा जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है लेकिन 21 वर्ष से कम है अगर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की
से विवाह करेगा तो वह 15 दिन तक के कारावास व 1000 रु. के जुर्मने से दण्डित किया जा सकेगा।

(धारा-3)

- यदि वयस्क पुरुष जिसकी उम्र 21 वर्ष या अधिक है और वह 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो वह तीन माह की अवधि के कारावास व जुर्मने से दण्डित होगा।

(धारा 4)

- जो कोई माता-पिता, संस्कार, रिश्तेदार व पंडित बाल विवाह सम्पन्न करेगा, कर्तव्यें या विवाह समारोह में शामिल होगा, वह तीन माह तक की अवधि के कारावास से दण्डित होगा।

शिकायत

बाल विवाह को रुकवाने के लिए कोई व्यक्ति जिसे बाल विवाह जैसा अनुष्ठान सम्पन्न होने की जानकारी है या स्वयं वह जिसका बाल विवाह किया जा रहा है या रिश्तेदार, मित्र या अन्य जानकार सम्बन्धित थाने में जाकर बाल-विवाह रुकवाने की शिकायत कर सकता है या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट इस अधिनियम की धारा 12 के तहत बाल विवाह रोकने का आदेश जारी कर सकेगा।

लिंग परीक्षण

कन्या भूषण हत्या रोकने के लिए सन् 1994 में "प्रसवार्थ निदान तकनीक (दुरुपयोग का विनियम व निर्वाण) अधिनियम 1994" पारित किया गया जिसे संक्षिप्त में पी.एन.डी.टी. एक्ट
भी कहते हैं, जो 1 जनवरी, 1996 से जम्मू-कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में लागू है। इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान हैं-

- गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण गैर कानूनी है।
- यदि कोई चिकित्सक लिंग परीक्षण करता है तो वह तीन वर्ष तक कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

(धारा 23)

- जो व्यक्ति प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीक का संचालन करेगा तथा भूमिल्ला के बारे में सम्बन्धित गर्भवती महिला या उसके रिश्तेदार को शब्द, संकेत या अन्य रीति से जानकारी करवायेगा तो वह व्यक्ति तीन वर्ष के कारावास तथा दस हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

(धारा 5(2))

- गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग जाँच करने का विचारपन देना व गर्भवती महिला को उसके गर्भस्थ शिशु के लिंग के बारे में जानने के लिए उकसाना भी अपराध है और तीन वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है।

(धारा 22)

भरण पौष्पण

यदि पर्याप्त साधनों वाला सक्षम व्यक्ति अपनी पत्नी का, जायज या नाजायज नाभिलिंग सन्तान का, शारीरिक व मानसिक रूप से विकलंग संतान का व अपने माता-पिता का भरण पौष्पण करनें में उपेक्षा करता है या इंकार करता है तो
प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसे सक्षम व्यक्ति को भरण-पोषण करने का आदेश दे सकता है।

- व्यक्तित्व व्यक्ति को भरण-पोषण के लिए अपने नजदीकी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के यहाँ अन्तर्गत धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत आवेदन करना चाहिये।

विधवा पुत्र-वधु का भरण-पोषण

हिन्दु दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार एक विधवा अपने श्वसुर से भरण-पोषण की हकदार होगी यदि:

- यह स्वयं अपने अर्जन (आया) से भरण-पोषण करने में असमर्थ है।
- वह स्वयं की अन्य सम्पत्तियों से भरण-पोषण करने में असमर्थ है।
- अपने पति, पिता या माता की सम्पत्ति से भरण-पोषण करने में असमर्थ है।
- अपने पुत्र या पुत्री से भरण-पोषण करने में असमर्थ है।
- वह पुनः विवाह नहीं करता है।

ऐसी विधवा महिलाओं को यदि उसका श्वसुर भरण-पोषण करने से इंकार करे तो उसे सम्बन्धित अदालत को शिकायत करनी चाहिये।

विधवा का सम्पत्ति में अधिकार

किसी महिला के पति की मौत के बाद वह पति की सम्पत्ति में "हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956" के अनुसार अपने बच्चों के साथ बराबर की हकदार होगी।
यदि विधवा पुनः विवाह करती है और उसे ससुराल जनों
द्वारा पति की सम्पत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता है तो वह
अदालत में आवेदन देकर अधिकार प्राप्त कर सकती है।

महिला सलाह एवम् सुरक्षा केंद्र

हिस्सा से पीड़ित महिलाओं को पुलिस धानों में रिपोर्ट दर्ज
किये बिना ही पूर्ण राहत व भिन्नक्षण न्याय दिलाने के लिए पुलिस
विभाग ने स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी में महिला पुलिस
धानों/पुलिस धानों पर महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र स्थापित
किये है। इन केंद्रों पर पीड़ित महिलाओं की समस्याओं के
समाधान में वैकल्पिक उपायों की सहायता ही जाती है साथ
ही पीड़िता में आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास किया जाता है।

परिवार परामर्श केंद्र

केन्द्रीय व राज्य समाज कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण
स्वास्थ्य मिशन एवम् गैर सरकारी संगठनों द्वारा राज्य में परिवार
परामर्श केंद्र स्थापित किये जा रहे है। इन परिवार परामर्श
केन्द्रों द्वारा पीड़ित महिलाओं के भावनात्मक एवम् कानूनी पक्षों
को ध्यान में रखकर उन्हें उचित परामर्श दिया जाता है और
उनके परिवार को विघटित होने से बचाया जाता है।

जिला महिला सहायता समिति

शोषित व शरीरपर भावनात्मक एवम् कानूनी पक्षों के
संयंग किये जाएँ तथा उत्तरीक्षण का पुनरीक्षण कर श्रीधर कार्यवाही कराने
के उद्देश्य से राज्य के समस्त जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता
में जिला महिला सहायता समिति कार्य कर रही है जिसमें उसी
जिले के पुलिस अधीक्षक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग, दो, कानूनी सलाहकार एवं स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं तथा परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण इसके सदस्य सचिव होते हैं। यह एक स्थायी समिति है जिसकी तीन माह में एक बार बैठक होना आवश्यक है।

नोट- महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के उल्पीड़न की शिकायत महिला आयोग में की जा सकती है।

पारिवारिक न्यायालय

पारिवारिक एवं वैवाहिक विवादों के निपटारे के लिए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत राज्य के कुछ जिलों में पारिवारिक न्यायालय स्थापित किये गये हैं और जिन जिलों में ऐसे न्यायालय गठित नहीं हुए वहाँ पर जिला न्यायालय पारिवारिक न्यायालय का कार्य कर रहे हैं। इन न्यायालयों द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत वैवाहिक विवादों का निपटारा आपसी समझौता द्वारा करने का प्रयास किया जाता है। इन विवादों में वादकालीन भरण-पोषण, अन्तरिम भरण-पोषण, दाम्पत्य जीवन की पुनः स्थापना, विवाह विच्छेद तथा मुकदमा खर्च दिलाने जैसे वाद शामिल हैं।

विधिक सहायता

कोई भी नागरिक जिसकी सभी जरियों से कुल आय 25000/- रूपये वार्षिक से अधिक नहीं हो एवं पीड़ित महिला नियमों के अनुसार विधिक सहायता पाने की अधिकारी
है। लेकिन निम्नलिखित वर्ग के व्यक्तियों पर आमदनी की यह सीमा लागू नहीं होगी:-

- अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति।
- 16 वर्ष से कम उम्र के फौजदारी समालों में अभियुक्त।
- कैदी व खरास्त में मुखद्वार की कार्यवाही भुगत रहे व्यक्ति।
- विधिक सहायता हेतु निम्नलिखित स्थानों पर आवेदन किया जाना चाहिए।

(1) राज्य स्तर पर-

सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर/जोधपुर

(2) जिला स्तर पर-

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान राज्य महिला आयोग में परिवार/शिकायत व्यक्तिगत या डाक द्वारा सिभ पते पर प्रेरित करें:-

अध्यक्ष/सदस्य सचिव/रजिस्ट्रेशन
राजस्थान राज्य महिला आयोग
लाल कोटी, टोङ्क रोड
जयपुर
फोन नं. 0141-2779001, 2,3 व 4
फैक्स 0141-2779002

(16)
“शिक्षित नारी, कभी ना हारी”